

सीडब्ल्यू डीटीई

1. केंद्र/राज्य सरकार (सीडब्ल्यू 2) के द्वारा रियायत से संबंधित वीरता पुरस्कार पर स्पष्टीकरण।
2. वीरता पुरस्कार (सीडब्ल्यू 2) की राजपत्रित अधिसूचना।
3. घातक लड़ाई में हताहत हुए लोगों के बच्चों की शैक्षिक छात्रवृत्ति के दावों को स्वीकृति।
4. निम्नांगों के पक्षाघात से ग्रस्त पुर्नवास केंद्र, वृद्धाश्रम से संबंधित स्पष्टीकरण।
5. 75 साल की आयु/मृत्यु के बाद परोपकार कोष भुगतान (एओबीएफ)- केवल सेवानिवृत्त अधिकारियों/एनओके के लिए।